झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 28/3/16

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2590 / उपायुक्त, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री के0 श्रीनिवासन, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत सरायकेला–खरसावाँ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2591 / उप विकास आयुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत गोड्डा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2592 / उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर, भा.प्र.से. (झा:2008) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत खूँटी जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2593 / उपायुक्त, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री हर्षमंगला, भा.प्र.से. (झा:2008) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री हर्षमंगला अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2594/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अमीत कुमार, भा.प्र.से. (झा:2010) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत पलामू जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट–2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या–1/पी0–108/2014 का० – 2595 / उपायुक्त, खूँटी के पद पर पदस्थापित श्री वाघमारे प्रसाद कृष्णा, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कृष्णा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।